



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012022-232646
CG-DL-E-14012022-232646

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189]
No. 189]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2022/पौष 24, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2022/PAUSHA 24, 1943

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2022

का.आ. 193(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, 'असम विद्युत नियामन आयोग' (पैन: AAAJA1243K), जिसे असम सरकार द्वारा गठित किया गया है, के अंतर्गत उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए, उक्त आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, अधिसूचित करती है, नामतः-

- (क) केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के रूप में;
- (ख) लाईसेंस शुल्क, याचिका शुल्क और शास्ति के रूप में प्राप्त राशि; और
- (ग) बैंक में जमा या सावधि जमा के रूप में सरकारी अनुदान, लाईसेंस शुल्क, याचिका शुल्क और शास्ति पर व्याज।

2. यह अधिसूचना असम विद्युत नियामन आयोग की शर्तों के अधीन प्रभावी होगी-

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा(4ग) के खण्ड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी फाईल करेंगे।

3. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 और 2025-2026 के लिए लागू किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 5/2022 फा.सं. 300196/13/2021-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2022

S.O. 193(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Assam Electricity Regulatory Commission' (PAN:AAAJA1243K), constituted by the Government of Assam, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:—

- (a) amount received in the form of government grants;
- (b) amount received as license fees, petition fees and fines; and
- (c) interest earned on government grants, license fees, petition fees and fines kept as deposits or Fixed deposits with banks.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Assam Electricity Regulatory Commission—

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be applicable for the financial years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 and 2025-2026.

[Notification No. 5 /2022 F.No.300196/13/2021-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.